(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 59/2015–2020
दिनांकः 28 फरवरी, 2023

विषयः प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 4.42 में संशोधन।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 4.42 के प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

(झ) प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 4.42 के तहत एक नए उप–पैरा (ञ) को निम्नानुसार जोड़ा जाता है:

4.42 निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि और इसका विस्तारः

(ञ) निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार और/अथवा पहले ही किए गए निर्यातों के विनियमन को अनुमत करते समय संयोजन शुल्क लगाने के संबंध में सभी पीआरसी निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु, लागू संयोजन शुल्क यहां नीचे यथा निर्धारित होगा:

जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए) लाइसेंस का सीआईएफ मूल्य	लगाए जाने वाला संयोजन शुल्क (भारतीय रु. में)
2 करोड़ रुपये तक	25,000
2 करोड़ रुपये से अधिक 10 करोड़ रुपये तक	50,000
10 करोड़ रु. से अधिक	1,00,000

पहले भुगतान किए गए संयोजन शुल्क का कोई भी रिफंड अनुमत नहीं होगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 4.42 को व्यापार करने में सुगमता और कारोबार लागत को कम करने हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) में विस्तार और/अथवा पहले ही किए गए निर्यातों के विनियमन के मामले में संयोजन शुल्क लगाए जाने की प्रक्रिया से संबंधित पूर्व के निर्णयो सहित सभी पीआरसी निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु एकसमान और पारदर्शी प्रणाली को एकीकृत करने के लिए संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
28.2.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/94/180/012/एएम–23/पीसी–4 से जारी)